राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या :– 169/2017.....जिलाः राजसमन्द.....

उनवान – मैसर्स महेन्द्रा एण्ड रिसॉर्ट इण्डिया लिमिटेड, कुम्भलगढ़ बनाम अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर वि
उदयपुर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–कुम्भलगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
13.02.2017	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के.जैन, अभिभाषक एवं विभाग की ओर उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित । अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय स्टे प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 4/वैट/16–17/स्थगन/राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय का ऑडिट करने पर वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये जाने पर उनकी जांच पर पाया गया कि कुम्भलगढ़ एवं उदयपुर ब्रांच में रेस्टोरेन्ट तथा बार में की गई तैयार भोजन, बीयरी, शराब, बेवरेज तथा मिनरल की बिक्री पर वसूल किया गया सर्विस टैक्स वसूल किया गया है, जो बिक्री का भाग है परन्तु व्यवहारी द्वारा उस पर वैट जमा नहीं कराया गया है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–चित्तौड़गढ़ द्वारा कर रूपये 1,34,654/– आरोपित किया गया तथा उक्त कर को अदेय मानकर उस पर ब्याज रूपये 49,822/– आरोपित किया गया है एवं कर का अपवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 2,69,308/– आरोपित करते हुए कुल रूपये 4,53,784/– की मांग सृजित की गई है। उक्त सृजित मांग से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सृजित मांग रू. 4,53,784/– में से रू. 4,40,318/–की वसूली को स्थगित करने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 2,69,308/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 1,71,010/– पर रोक लगाने से इनकार के आदेश से असन्तुष्ट होकर उक्त शेष राशि रू. 1,71,010/– पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्विस टैक्स एक टैक्स है और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 की धारा 2 (36) में वर्णित सेल प्राईस का प्रथम दृष्टया	

"2(36) **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for a nnything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act; "

उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण पर विचार करने के पश्चात पर्याप्त राशि पर स्थगन दिया जा चुका है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है । इसलिए कर निर्धारण आदेश में विवेचित संव्यवहारों के संदर्भ में सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट व ब्याज के विवादित बिन्दुओं पर प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, सर्विस टैक्स की राशियों पर आरोपित कर एवं ब्याज (अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु राशि रू. 1,71,010/–) पर स्थगन प्रदान नहीं किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य